तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	की जाती है तहसीलदार बाँदीकुई के पत्रांक: 226 दि० 17.1.25 द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल पत्रावली की गयी। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक: 22-1-2025 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
22/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण वकील बहस सुनी। प्रार्थना पत्र व पत्रावली एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A R.T.A. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बाँदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 22/1/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपजिला कलैक्टर एंव उपजिला मजिस्ट्रेट महोदय बांदीकुई

प्रकरण संख्या: 121 / 2024
प्रकरण दायर दिनांक: 07.10.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक: 22.01.2025

उनवान

1. केदार पुत्र शंकरलाल उम्र 37 वर्ष
2. कमली देवी पत्नि शंकरलाल उम्र 65 वर्ष
3. कजोडी पत्नि भोमा उम्र 62 वर्ष
4. गुड्डी देवी पुत्री शंकरलाल उम्र 42 वर्ष
5. कमलेश उर्फ कालू पुत्र गिर्राज उम्र 30 वर्ष
6. शान्ति पुत्री गिर्राज उम्र 36 वर्ष
7. मीना पुत्री गिर्राज उम्र 34 वर्ष
8. शीला पुत्री गिर्राज उम्र 32 वर्ष
9. गोपाल पुत्र धन्नालाल उम्र 50 वर्ष
10. छुट्टन पुत्र धन्नालाल उम्र 53 वर्ष
11. जगदीश पुत्र हट्टीराम उम्र 65 वर्ष
12. दिनेश पुत्र गणेश उम्र 30 वर्ष
13. प्रभाती देवी पत्नि गणेश उम्र 72 वर्ष
14. प्रियंका पुत्री शंकरलाल उम्र 39 वर्ष
15. फोरन्ता पुत्री लक्ष्मण उम्र 34 वर्ष
16. पिंटू पुत्र शंकरलाल उम्र 28 वर्ष
17. बत्तो बाई पुत्री गणेश उम्र 36 वर्ष
18. बदरी पुत्र हट्टीराम उम्र 62 वर्ष
19. बाबूलाल पुत्र प्रभातीलाल उम्र 36 वर्ष
20. अनिता पुत्री बाबूलाल उम्र 36 वर्ष
21. शीला पुत्री बाबूलाल उम्र 34 वर्ष
22. शिवलाल पुत्र बाबूलाल उम्र 32 वर्ष
23. विष्णु पुत्र बाबूलाल उम्र 30 वर्ष
24. भगवान सहाय पुत्र गणेश उम्र 40 वर्ष
25. मुकेश पुत्र शंकरलाल उम्र 39 वर्ष
26. मोहरपाल पुत्र धन्नालाल उम्र 35 वर्ष
27. मोहित पुत्र लक्ष्मण उम्र 26 वर्ष
28. महेश पुत्र गणेश उम्र 28 वर्ष
29. रेखा पुत्री लक्ष्मण उम्र 32 वर्ष

Scanned with OKEN Scanner

30. रमेश पुत्र हट्टीराम उम्र 56 वर्ष
31. रामकिशन पुत्र हट्टीराम उम्र 73 वर्ष
32. रामखिलाडी पुत्र गणेश उम्र 35 वर्ष
33. रामजीलाल पुत्र प्रभातीलाल उम्र 55 वर्ष
34. रामजीलाल पुत्र कन्हैयालाल उम्र 58 वर्ष
35. रामधन पुत्र भोमा उम्र 48 वर्ष
36. रामप्रताप पुत्र बिरदा उम्र 53 वर्ष
37. रामफूल पुत्र कन्हैयालाल उम्र 52 वर्ष
38. रामोतार पुत्र लक्ष्मण उम्र 29 वर्ष
39. रामोती पुत्री गणेश उम्र 43 वर्ष
40. लड्डो पत्नि रामधन उम्र 47 वर्ष
41. सुनीता देवी पुत्री शंकरलाल उम्र 32 वर्ष
42. सोमोती पत्नि लक्ष्मण उम्र 47 वर्ष
43. लल्लूराम पुत्र बिरदया उम्र 78 वर्ष
44. बुद्धी देवी पत्नि मूलचन्द उम्र 80 वर्ष
45. मुरारी पुत्र मूलचन्द उम्र 53 वर्ष
46. बाबूलाल पुत्र मूलचन्द उम्र 45 वर्ष
47. रामकरण पुत्र मूलचन्द उम्र 39 वर्ष
48. सोहनलाल पुत्र घनश्याम उम्र 32 वर्ष
49. मोहनलाल पुत्र घनश्याम उम्र 29 वर्ष

समस्त जाति माली निवासी मालियों की ढाणी ग्राम शेखपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. पप्पू राम पुत्र माधोलाल उम्र 35 वर्ष
2. देवनारायण पुत्र हरिसिंह उम्र 18 वर्ष
3. धर्मसिंह पुत्र किलाण उम्र 50 वर्ष
4. बाबूलाल पुत्र किलाण उम्र 46 वर्ष
5. सुबुद्धी पुत्र किलाण उम्र 43 वर्ष
6. राजेश पुत्र किलाण उम्र 33 वर्ष
7. छुट्टन पुत्र किलाण उम्र 41 वर्ष
8. रोशन पुत्री किलाण उम्र 35 वर्ष
9. शिमला पुत्री मुकेश उम्र 25 वर्ष
10. केशुला पत्नि नाथूसिंह उम्र 48 वर्ष
11. अंकित पुत्र नाथूसिंह उम्र 25 वर्ष
12. पिन्टू पुत्र नाथूसिंह उम्र 23 वर्ष

xwe-

Scanned with OKEN Scanner

13. मनोहरलाल पुत्र रामनिवास उम्र 30 वर्ष
14. रघुवीर पुत्र रामनिवास उम्र 58 वर्ष
15. राजन्ती पत्नि हरिसिंह उम्र 40 वर्ष
16. लोकेश पुत्र माधोलाल उम्र 28 वर्ष
17. सीता पुत्री हरिसिंह उम्र 20 वर्ष
समस्त जाति गुर्जर निवासी शेखपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
18. एस.बी.आई. शाखा बांदीकुई जरिये शाखा प्रबन्धक बांदीकुई जिला दौसा।
19. यू. को बैंक शाखा बांदीकुई जरिये शाखा प्रबन्धक बांदीकुई जिला दौसा।
20. राजस्थान सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 49 की सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या नया 80 पुराना 17 खसरा नम्बर 457 रकबा 0.17 हैक्टे, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.17 हैक्टे, खसरा नम्बर 461 रकबा 0.16 हैक्टे, खसरा नम्बर 462 रकबा 0. 21 हैक्टे, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.19 हैक्टे, खसरा नम्बर 465 रकबा 0.14 हैक्टे, खसरा नम्बर 468 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 470 रकबा 0.25 हैक्टे, खसरा नम्बर 471 रकबा 0.21 हैक्टे, खसरा नम्बर 472 रकबा 0.45 हैक्टे, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.17 हैक्टे, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.17 हैक्टे, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.24 हैक्टे, खसरा नम्बर 485 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नम्बर 485/585 रकबा 0.06 हैक्टें, खसरा नम्बर 676/463 रकबा 0.012 हैक्टे, खसरा नम्बर 677/463 रकबा 0.188 हैक्टे कुल किता 18 कुल रकबा 3.08 हैक्टेयर वाके रामा शेखपुरा पटवार हल्का आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा स्थित है। जिसका खातेदारान ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। भूमि काश्त खाता संख्या नया 5 पुराना 5 खसरा नम्बर 241 रकबा 0.40 हैक्टे, खसरा नम्बर 242 रकबा 0.52 हैक्टे, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.22 हैक्टे, खसरा नम्बर 244 रकबा 0. 04 हैक्टे, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.70 हैक्टे, खसरा नम्बर 246 रकबा 0.70 हैक्टे, खसरा नम्बर 257 रकबा 0.81 हैक्टे, खसरा नम्बर 272 रकबा 0.85 हैक्टे, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.11 हैक्टे, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 277 रकबा 1.26 हैक्टे, खसरा नम्बर 278 रकबा 1.02 हैक्टे, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.08 हैक्टे, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 453 रकबा 0.01 हैक्टे, खसरा नम्बर 454 रकबा 1.37 हैक्टे, खसरा नम्बर 455 रकबा 1.37 हैक्टेयर कुल किता 18 कुल रकबा 9.59 हैक्टेयर स्थित वाके रामा शेखपुरा पटवार हल्का आभानेरी तहसील बांदीकुई के अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 17 खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीगण ने अपने पैरा नम्बर 01 में दर्ज खातेदारी भूमि में अपनी रिहायश बना रखी है जिसमे पुख्ता मकान व पशुओं के बाडे आदि बना रखे है तथा बोरिंग लगा रखी है व अर्सा

४५६-

Scanned with OKEN Scanner

60–70 वर्ष से अपनी आबादी कर रिहायश करते चले आ रहे है भूमि खसरा नम्बर 666/432, 661/431, 658/413, 670/435, 674/452 में होते हुए जो राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित रास्ता है उक्त रास्ता खसरा नम्बर 455 में से होता हुआ खसरा नम्बर 677/463 के रास्ते में मिल जाता है जो कि नक्शा सीट में स्थित है में होकर प्रार्थीगण अपनी–अपनी प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 01 में वर्णित में आते–जाते है तथा इसी रास्ते में होकर काश्त हेतु ट्रैक्टर आदि साधन लाते ले जाते है खसरा नम्बर 666/432, 661/431, 658/413, 670/435, 674/452 में होकर खसरा नम्बर 455 से निकले हुये रास्ते को अर्सा 60–70 वर्ष से निर्बाध रूप से भूमि काश्त व अपनी रिहायश आबादी में आने जाने फसल बुआई कटाई आदि के लिये साधन टैक्टर आदि लाने ले जाने के उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण लेते आ रहे है, खसरा नम्बर 455 से होकर निकलने वाला रास्ता खसरा नम्बर 661/431 की सीमा तक नक्शा सीट राजस्व रिकॉर्ड में कटा हुआ है व दर्शित किया गया है। जो खसरा नम्बर 455 में होकर खसरा नम्बर 677/463 के रास्ते में मिल जाता है जो प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त व रिहायश की पैरा नम्बर 01 में वर्णित भूमि में आने जाने का केवल एक ही रास्ता है जो खसरा नम्बर 455 में होकर जाता है। यह रास्ता 18 फिट चौडा है इस प्रकार खसरा नम्बर 455 में होकर 60–70 वर्ष पूर्व से 18 फिट चौडा रास्ता बना हुआ है जिसे प्रार्थीगण बिना किसी अवरोध के निर्बाध रूप से रास्ते के रूप में काम लेते चले आ रहे है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है। खसरा नम्बर 455 में से होकर प्रार्थीगण के खेतों पर आने जाने का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 17 के मन में बदनीयती आ गई और इस रास्ते को जबरिया रोकने का प्रयास कुछ दिन पूर्व से करने लगे तथा प्रार्थीगण की उनकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि व रिहायश की पैरा नम्बर 01 में वर्णित में आने जाने के समय तथा भूमि काश्त हेतु टैक्टर आदि उपकरण लाते ले जाते समय अकारण व्यवधान उत्पन्न करने तथा गाली गलौच करते हुये रास्ते को बन्द करने का प्रयास करने लगे जिसे नक्शा नजरी में बरंग सुर्ख ए.बी.सी.डी से दर्शित किया है, जिसे इस प्रार्थना पत्र में आगे रास्ता विवादित से सम्बोधित किया गया है। खसरा नम्बर 455 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की उक्त वर्णित भूमि में आने जाने तथा टैक्टर आदि साधन लाने ले जाने का इस रास्ता विवादित के अलावा अन्य कोई रास्ता की सुविधा नहीं होने के कारण प्रार्थीगण स्वंय की काश्त की भूमि उक्त वर्णित पर आने जाने टैक्टर, बैजगाडी व अन्य वाहन आदि साधन उपकरण लाने ले जाने के लिये राजस्व रिकॉर्ड नक्शा सीट में स्थित खसरा नम्बर 455 में होकर नजरी नक्शा अनुसार ए बी सी डी को 18 फिट चौडा रास्ता निर्धारित करवाने तथा इसी अनुसार नक्शा सीट में तरमीम करवाने के अधिकारी है। रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व रिहाइश की भूमि में काश्त पैदा करने के लिये आ जा नही सकेंगे जिससे प्रार्थीगण को भूखे मरने की नौबत उत्पन्न हो जावेगी तथा प्राथीगण को नुकसान अजीम नाकाबिले तायून व तखमीना होगा जिसकी पूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही हो सकेगी और गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पडेगे जो बाय से बर्बादी प्रार्थीगण होगे। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण के पास सिवाय प्रार्थना पत्र हाजा पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं होने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

Scanned with OKEN Scanner

पूर्व में भी तहसीलदार बांदीकुई द्वारा खसरा नम्बर 413, 431, 432, 433, 436, 452, 455, 463 में मौके पर रास्ता चालू होना माना है जिसके लिये मय राजस्व नक्शा हल्का पटवारी मय भू अभि० निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उक्त खसरा नम्बर 455 में होकर रास्ता कायम किये जाने का प्रस्ताव दिनांक 11/03/2024 को प्रस्तुत किया है प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण, खसरा नम्बर 455 में होकर, न्यायालय हाजा के आदेश अनुसार निर्धारित रास्ते की भूमि बाबत जो भी शुल्क नियमानुसार तय किया जावेगा अप्रार्थीगण को अदा करने के लिये तैयार व तत्पर है।

दिनांक 27/09/2024 को अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 17 ने खसरा नम्बर 455 में होकर, नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता ए बी सी डी 18 फिट चौडा को जबरन जोत लगा देने व प्रार्थीगण के अवागमन में व्यवधान उत्पन्न करने से बिनाय मुखास्मत व बिनाय दावा न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने से यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी गिर्राज का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान को प्रार्थी संख्या 05 लगायत 08 पक्षकार बनाया गया है तथा बाबूलाल पुत्र भोमा का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान को प्रार्थी संख्या 20 लगायत 23 पक्षकार बनाया गया है व प्रार्थी मूलचन्द पुत्र हट्टीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान को प्रार्थी संख्या 44 लगायत 49 पक्षकार बनाया गया हैं। एंव जमाबन्दी में दर्ज अप्रार्थी किलाण पुत्र रामनिवास का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान को अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 12 पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 18 व 19 आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 20 लैण्ड होल्डर तथा भू अभिलेख अधिकारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या नया 80 पुराना 17 खसरा नम्बर 457 रकबा 0.17 हैक्टे, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.17 हैक्टे, खसरा नम्बर 461 रकबा 0.16 हैक्टे, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.21 हैक्टे, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.19 हैक्टे, खसरा नम्बर 465 रकबा 0. 14 हैक्टे, खसरा नम्बर 468 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 470 रकबा 0.25 हैक्टे, खसरा नम्बर 471 रकबा 0.21 हैक्टे, खसरा नम्बर 472 रकबा 0.45 हैक्टे, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.17 हैक्टे, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.17 हैक्टे, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.24 हैक्टे, खसरा नम्बर 485 रकबा 0.12 हैक्टे खसरा नम्बर 485/585 रकबा 0. 06 हैक्टें, खसरा नम्बर 676/463 रकबा 0.012 हैक्टे, खसरा नम्बर 677/463 रकबा 0.188 हैक्टे कुल किता 18 कुल रकबा 3.08 हैक्टेयर वाके रामा शेखपुरा पटवार हल्का आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा में पशुओ के आने जाने तथा टैक्टर, उँट गाडी, बैलगाडी व अन्य साधन व उपकरण लाने ले जाने के लिये अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 17 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 455 रकबा 1.37 हैक्टेयर में होकर नजरी नक्शा में वर्णित बरंग सुर्ख ए.बी.सी. डी. 18 फीट चौडाई की भूमि को रास्ते की भूमि घोषित की जाकर इसी अनुसार नक्शा शीट में तरमीम किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये रजिस्ट्री ए. डी. नोटिस विधिवत की गयी। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 20 बावजूद रजिस्ट्री ए. डी. नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 20 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्रांकः 226 दिनांकः 17.01.2025 द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट पेश की गयी। प्रकरण में प्रार्थीगण वकील बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र,, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2075–78 ग्राम शेखपुरा खाता सं. नया 80 पुराना 17 के खसरा नं. खसरा नम्बर 457, खसरा नम्बर 458 , खसरा नम्बर 461, खसरा नम्बर 462, खसरा नम्बर 464, खसरा नम्बर 465, खसरा नम्बर 468, खसरा नम्बर 470, खसरा नम्बर 471, खसरा नम्बर 472, खसरा नम्बर 473, खसरा नम्बर 474, खसरा नम्बर 475, खसरा नम्बर 484, खसरा नम्बर 485, खसरा नम्बर 485/585, खसरा नम्बर 676/463, खसरा नम्बर 677/463 कुल किता 18 कुल रकबा 3.08 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्व जमाबंदी संवत 2075–78 ग्राम शेखपुरा खाता सं. नया 5 पुराना 5 के खसरा सं. 241 लगायत 246, 257, 272, 274 लगायत 278, 446, 447, 453, 454, 455 अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 17 के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न भू. अ. निरीक्षक आभानेरी एवं पटवारी हल्का बासडा मौका पर्चा वाके ग्राम शेखपुरा दिनांकः27.12.2024 के अनुसार प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खाता सं. 80 खसरा नं. 457, 458, 467, 462, 464, 465, 468, 470 लगायत 475, 484, 485, 485/585, 676/463, 677/463 कुल किता 18 रकबा 3.08 हैक्ट. भूमि में व बोरिंग आवास आदि में खसरा नं. 658/413, 672/436, 670/435, 667/433, 664/432, 674/452, 661/431, 676/463 किस्म गैर मुमकिन रास्ते से अप्रार्थीगण के खसरा नं. 455 में मौके पर चालू रास्ते में होकर आते जाते हैं। खसरा नं. 455 में मौके पर 4 मीटर चौडाई व 80 मीटर लम्बाई का 320 वर्ग मी. क्षेत्रफल का रास्ता चालू है। जो मौके पर खाली है कोई पेड आदि नहीं है। जनहित में खसरा नं. 455 में चालू रास्ते को रिकार्ड में आर.टी.ए. की धारा 251 ए के अन्तर्गत दर्ज किया जाना उचित होगा।

प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी खसरा नं. 457, 458, 467, 462, 464, 465, 468, 470 लगायत 475, 484, 485, 485/585, 676/463, 677/463 में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नं. 455 में से 18 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 457, 458, 467, 462, 464, 465, 468, 470 लगायत 475, 484, 485, 485/585, 676/463, 677/463 कुल किता 18 रकबा 3.08 हैक्ट. में अप्रार्थीगण के खसरा नं. 455 में मौके पर चालू रास्ते में होकर आते जाते हैं तथा खसरा नं. 455 में मौके पर 4 मीटर चौडाई व 80 मीटर लम्बाई का 320 वर्ग मी. क्षेत्रफल का रास्ता चालू होना बताया है। जो मौके पर खाली है। राज्य सरकार द्वारा RTACT की संशोधित धारा 251 ''ए'' खातेदार एवं काश्तकार को रास्ते की सुविधा की भावना से संशोधित किया गया है जिसके अनुसार कम दूरी पर सुविधानुसार काश्तकार अपने खेतो पर सुगम तरीके से पहुंच सके। तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट दिनांकः 17.01.2025 में प्रार्थीगण को अपनी आराजी तक आने–जाने के लिए अप्रार्थीगण के खसरा नं. 455 में मौके पर 4 मीटर चौडाई व 80 मीटर लम्बाई का 320 वर्ग मी. क्षेत्रफल का रास्ता चालू होना प्रस्तावित होने के मध्यनजर

क्रमशः—

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण की आराजी खाता सं. नया 80 पुराना 17 के खसरा नं. 457, 458, 461, 462, 464, 465, 468, 470 लगायत 475, 484, 485, 485/585, 676/463, 677/463 कुल किता 18 कुल रकबा 3.08 हैक्ट. में आने-जाने हेतु तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट में प्रस्तावित अप्रार्थीगण के खसरा नं. 455 में 4 मीटर चौडाई व 80 मीटर लम्बाई की 320 वर्ग मी. भूमि रास्ते हेतु अवाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए बरूये तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट के संलग्न भू. अ. निरीक्षक आभानेरी एवं पटवारी हल्का बासडा मौका पर्चा वाके ग्राम शेखपुरा दिनांक:27.12.2024 के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण प्रा.पत्र 251 "ए" राजस्थान टीनेन्सी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 80 पुराना 17 के खसरा नं. 457, 458, 461, 462, 464, 465, 468, 470 लगायत 475, 484, 485, 485/585, 676/463, 677/463 कुल किता 18 कुल रकबा 3.08 हैक्ट. वाके रामा शेखपुरा तह. बॉदीकुई जिला दौसा में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण के खसरा नं. 455 में 4 मीटर चौडाई व 80 मीटर लम्बाई की 320 वर्ग मी. भूमि रास्ते हेतु अवाप्त की जाती है। रास्ते में अवाप्त भूमि को खातेदारी से कम कर सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि प्रचलित डी.एल.सी. दर से दोगुनी राशि तहसीलदार बॉदीकुई को विधिवत जमा करावे। तहसीलदार बॉदीकुई वांछित राशि जमा कर संबंधित खातेदार को नियमानुसार भुगतान करें तथा तहसीलदार बॉदीकुई उक्त अवाप्त रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि को विधिवत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

22/01/25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner